

पालनहार द्वारा अनाथ बच्चों के पालन-पोषण करने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती पिता/पत्नी श्री
निवासी निम्न अनाथ बच्चों को अपने परिवार में रखकर स्वयं की
संतान की भांति पारिवारिक माहौल में पालन-पोषण, शिक्षा आदि की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं:-

क्र. सं.	अनाथ बालक/बालिका का नाम	माता/पिता का नाम	लिंग	जन्मतिथि	वर्तमान कक्षा/आंगनवाडी केन्द्र का नाम	पालनहार के पास कब से रह रहे हैं

दिनांक :

(हस्ताक्षर)

(सरपंच, ग्राम पंचायत/प्रधान, पंचायत समिति/
वार्ड पार्षद, नगरीय निकाय)

नाम :

कार्यालय का पता:

दूरभाष/ मोबाईल न0 :

मोहर :

वे बच्चे, जिनके माता-पिता की मृत्यु हो गई हो अथवा न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मृत्युदण्ड/आजीवन कारावास से दण्डित किए गए हो अथवा जिनकी विधवा माता ने विधिवत पुनर्विवाह के पश्चात अपनी संतानों को त्याग दिया हो, के लिये ही उक्त प्रमाण पत्र की पूर्ति कराई जानी है।